

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 62A/2018 (GCMS No. 2018/00264)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
(1) अनिल बैनीवाल पुत्र जयराम बैनीवाल		1- भारत संघ मार्फत मुख्य अभियंता
(2) सुनील बैनीवाल पुत्र जयराम बैनीवाल		क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय सड़क
जाति-जाट, निवासीगण- प्लॉट नम्बर		परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय डी
6, पावटा बी-2 रोड़, जोधपुर		सी.एम., अजमेर रोड़, जयपुर
		2- परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण
		अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
		राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच 65) वृत्त
		जोधपुर
		3- सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं
		अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय),
		जोधपुर

आर्बीट्रेशन आवेदन/प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

दिनांक: 05.02.2025

1. श्री बलवीर चौधरी (प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता)- उपस्थित
2. श्री मनोज गहलोत (अप्रार्थीपक्ष-2, 3 के अधिवक्ता)- उपस्थित
3. अप्रार्थीपक्ष 1-अनुपस्थित

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थ (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की भूमि ग्राम सोयला खसरा नम्बर 476 रकबा 460.00 वर्गमीटर में से 4/5 हिस्सा है। अप्रार्थीगण की ओर से जोधपुर जिले के कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के 226/400 कि. मी. से 296/070 कि. मी. तक के भूखण्ड (नागौर जोधपुर सेक्शन) का निर्माण (चौडाकरण/दो लेन चार लेन बनाने आदि) में परिवर्तित करने के लिए निजी/राजकीय भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अनुशंसा एवं भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का. आ. 2441 (अ) दिनांक 25.10.2011



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

के द्वारा जोधपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 65 (नागौर जोधपुर सेक्शन) के भूमि अवाप्त करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-ए के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 के (नागौर जोधपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि) के परिवर्तित करने के लिए निजी/राजकीय भूमि अधिग्रहण हेतु भारत के राजपत्र असाधारण भाग सैकिण्ड खण्ड 3 उपखण्ड (11) क्रमांक का. आ./2329 अ दिनांक 12.09.2014 के द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। प्रार्थीगण की भूमि जो अवाप्त की गयी का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :-

- 1- भूमि का क्षेत्रफल -0.0460 हैक्टेयर यानि 460 वर्गमीटर में से 4/5 हिस्सा
- 2- खसरा नम्बर व ग्राम ग्राम सोयला के खसरा नम्बर- 476
- 3- भूमि की स्थिति- अवाप्ति की जाने वाली भूमि जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सड़क पर ग्राम सोयला के मुख्य बाजार में स्थित है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर) द्वारा दिनांक 30.12.2016 को अंतिम अर्वाड पारित किया गया। अंतिम अर्वाड जारी होने से पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 को जारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की आपत्तियों/क्लेम को अस्वीकार करते हुये अंतिम एर्वाड दिनांक 30.12.2016 को जारी किया गया। अर्वाड की जानकारी बाबत् प्रार्थीगण को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई थी, न ही अंतिम अर्वाड जारी करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर ही दिया गया। दिनांक 03.10.2017 को प्रार्थीगण को ग्राम सोयला में अपनी भूमि के आस-पास के लोगो ने बताया की रोड के आस-पास की भूमि का अर्वाड जारी हो गया है। तब दिनांक 04.10.2017 को अर्वाड की प्रति लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस की नकल दिनांक 12.10.2017 को प्राप्त हुई तब दिनांक 12.10.2017 को प्रार्थीगण को उक्त अर्वाड के बारे में जानकारी हुई। नकले प्राप्त होने पर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3-जी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत उचित व वास्तविक मुआवजा निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का सही प्रकार से मूल्यांकन (उचित एवं वास्तविक मुआवजा) निर्धारित नहीं किया गया है। जो मुआवजा निर्धारित किया व सम्पत्ति की बाजार कीमत के बराबर नहीं है उक्त मुआवजा बाजार दर से बहुत ही कम है। और बिना साक्ष्य के व बिना दस्तावेजों के अपने स्वयं की मनमर्जी से पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम सोयला में प्रार्थीगण की भूमि को असिंचित की कीमत प्रतिबीघा 2,57,984/- रूपये एवं 159.37/-रूपये प्रति वर्ग मीटर से मुआवजा निर्धारण किया गया है जो बहुत ही कम है। उक्त कीमत का निर्धारण करने में बाजार कीमत व आस-पास भूमि की कीमत व दस्तावेजों के बिना अवलोकन कर के किया गया है क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सोयला के मुख्य बाजार में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के ही खसरे में चिपते ही भारत पेट्रोलियम कॉ. का पम्प आया हुआ है, जो वर्तमान में चालू है तथा इसका वाणिज्यक उपयोग है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर- 479 की भूमि आयी हुई है जिसे भी अवाप्त किया गया है तथा उक्त भूमि का वाणिज्यक रूपान्तरण हो रखा है। इस पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है तथा व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 6,501.46/-रूपये प्रति वर्गमीटर के भाव से दिया गया, जबकि प्रार्थीगण की भूमि को 159.37/-रूपये प्रति वर्गमीटर के भाव से दिया गया है इसलिए प्रार्थीगण भी अपनी अवाप्त भूमि का 6,501.46/-रूपये प्रति वर्गमीटर के भाव से प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण करते समय वाणिज्यक रूपान्तरण में लगने वाला निर्धारित शुल्क कम करने के बाद व्यवसायिक दर से मुआवजा निर्धारण करना चाहिए था लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त खसरा की भूमि का मूल्यांकन 159.37/- प्रतिवर्गमीटर के भाव से ही किया गया है जो बहुत ही कम है इसलिए प्रार्थीगण को व्यवसायिक दर से मुआवजा दिलाया जाना आवश्यक है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने अर्वाड में उक्त मुआवजा निर्धारण करने का



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

कोईसारवान आधार नहीं बताया है तथा न ही किसी प्रकार के दस्तोवज को आधार बनाकर उक्त अवार्ड का निर्धारण किया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रार्थीगण की भूमि को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा का निर्धारण करना चाहिये था। प्रार्थीगण की भूमि के पास चिपते ही व्यावसायिक दुकाने आयी हुई है तथा पेट्रोल पम्प व आवासीय आवादी भूमि भी आयी हुई है तथा ग्राम सोयला के मुख्य बाजार में भूमि स्थित है तथा स्कूल, अस्पताल, सरकारी संस्थाने व अन्य सभी प्रकार की सुविधा उक्त भूमि के आस पास में उपलब्ध है तथा पानी व बिजली की सुविधा उपलब्ध जिससे उक्त भूमि बहुत ही मूल्यवान है तथा मौके की स्थिति के अनुसार भी उक्त अवाप्त की गई भूमि बहुत ही कीमती भूमि है तथा इस भूमि के आस पास में भूमि अधिकारी द्वारा जो कीमत निर्धारित की गयी है उससे अधिक कीमत से बेचान हुआ है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का बाजार मूल्य अधिक है, इसलिए प्रार्थीगण बाजार मूल्य से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है वह सही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार भी यह अवार्ड अंतिम अवार्ड कानूनन सही नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अवार्ड से असन्तुष्ट है और यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय सक्षम प्राधिकारी/मध्यस्थ द्वारा प्रार्थीगण की अपनी भूमि का मुआवजा उचित दर से मूल्य निर्धारित करवाकर मुआवजा प्राप्त कर सके। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड में मुआवजा निर्धारण करते समय भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य कारक गुणित किया जाकर शहरी क्षेत्र से दूरी का निर्धारण किया गया है वह सही नहीं किया गया है उपरोक्त अधिनियम के अनुसार शहरी सीमा नगर निगम का क्षेत्र आता है जबकि प्रार्थीगण की भूमि जोधपुर शहर की नगर निगम की सीमा से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का 1.50 से गुणाक करने की भूल की है जबकि प्रार्थीगण की भूमि का 2 से गुणाक करना चाहिये और 2 से गुणांक से ही प्रार्थीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की भूमि का वाणिज्यक उपयोग देखते हुऐ भविष्य में विस्तार एवं प्रस्तावित उपयोग को मध्य नजर रखते हुऐ भूमि की कीमत 6,501.46/- रुपये प्रति वर्गमीटर है इसी अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की भूमि का भविष्य में होने वाले लाभ व उपयोगिता व विकास को ध्यान में नहीं रखकर मुआवजा तय किया गया है जबकि प्रार्थीगण इस भूमि से भविष्य में होने वाली आय उपयोगिता से वंचित हो गया है जिसका भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा निर्धारण करते समय ध्यान नहीं दिया गया है इस भूमि को कृषि भूमि मानकर गणना गलत रूप से की गई है जबकि प्रार्थीगण की भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य 6501.46/- रुपये प्रति वर्गमीटर है जो प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने अवार्ड में बाजार मूल्य व आस पास की स्थिति के अनुसार मुआवजा निर्धारण नहीं करके केवल मात्र उप पंजीयक कार्यालय की डी. एल. सी. दर के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है जो सही नहीं है। डी. एल. सी दर का दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं होने से जो अवार्ड पारित किया गया है वो किसी भी रूप से सही नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसका मूल्य बाजारू दर पर किया जाना चाहिए जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय की डी. एल. सी. के दर पर किया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थीगण को इस भूमि की डी. एल. सी. दर से गणना नहीं करके वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार 6,501.46/- रुपये प्रति वर्गमीटर के भाव से गणना करके नये अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जाना आवश्यक है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में स्थित मकान जो पक्का निर्माण किया हुआ है एवं मुख्य रोड पर दीवार बनी हुई है जिनका मुल्यांकन बहुत ही कम आंक कर गणना की गई है जबकि प्रार्थीगण के निर्माण (18 बाई 20 वर्गफुट का गोदाम) जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि पर 8 बाई 60 वर्गफीट का पट्टी पोष का निर्माण कर कमरे बनाये हुऐ है



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

जिसकी कीमत 20 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि के सड़क पर लगती हुई 780 फुट दीवार का निर्माण किया हुआ है जिसकी कीमत 5 लाख रुपये है। तथा उक्त भूमि में 10 पेड़ जिरामें खेजडी, बबूल, बोरडी है जिनकी कीमत प्रति वृक्ष 10 हजार रुपये है। इस प्रकार प्रार्थीगण के निर्माण कार्य पेटे हो रहे नुकसान के कुल 32 लाख रुपये प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी अपनी भूमि के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है—

विवरण	कुल रुपये
1. ग्राम सोयला के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.0460 हैक्टेयर यानि 460.00 वर्गमीटर में से 4/5 हिस्सा यानि 368 वर्गमीटर	368 x 6501.46 /- =23,92,537 /-
— भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार	23,92,537 रु. x 2 (फैक्टर गुणाक) 47,85,074 /-
2. निर्माण व पेड़ पौधो का मुआवजा राशि	32,00,000 /- योग 79,85,074 /-
3. सोलिसियम राशि	79,85,074 /- कुल योग 1,69,70,149 /-
4. 12 प्रतिशत ब्याज	6,52,081 /- कुल मुआवजा राशि 1,76,22,230 /-

प्रार्थी उपरोक्त मुआवजा राशि प्राप्त होने तक इस राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का सम्पूर्ण हक निहित है। प्रार्थीगण को यह भूमि स्वयं की एवं पूर्वजों से प्राप्त हुई है। इसलिए प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थना पत्र के अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को मुआवजे की राशि 1,76,22,230 /- रुपये अप्रार्थीगण से दिलायी जाने का आदेश प्रदान करते हुये भूमि अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड में उपरोक्त संशोधन करने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं प्रदत्त समस्त लाभों जैसे— सोलिसियम, अधिभार की राशि एवं अवार्ड पर ब्याज एवं अन्य लाभ जो भी विधिसम्मत हो प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर 62A/2018 (GCMS No. 2018/00264) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष-1 व 2 के नोटिस बाद तामिल लौटे। अप्रार्थीपक्ष 3 की ओर प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.11.2019, अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत लिखित बहस व प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत लिखित बहस को रिकार्ड पर लिया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 के (नागौर जोधपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि) के परिवर्तित करने के लिए भूमि अवाप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय, जोधपुर) द्वारा ग्राम सोयला के खसरा नंबर 476 रकबा 460.00 वर्ग मीटर से 4/5 हिस्सा की भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम सोयला के खसरा नंबर 476 रकबा 460.00 वर्ग मीटर से 4/5 हिस्सा की भूमि का अवार्ड दिनांक 30.12.2016 को पारित किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का सही



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

प्रकार से मूल्यांकन (उचित एवं वास्तविक मुआवजा) निर्धारित नहीं किया गया है। जो मुआवजा बहुत ही कम है और बिना साक्ष्य के व बिना दस्तावेजों के अपने स्वयं की मनमर्जी से पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम सोयला में प्रार्थीगण की भूमि को अस्थिचित निर्धारण किया गया है जो बहुत ही कम है। उक्त कीमत का निर्धारण करने में बाजार कीमत व आस पास भूमि की कीमत व दस्तावेजों के बिना अवलोकन कर के किया गया है क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सोयला के मुख्य बाजार में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के ही खसरे में चिपते ही भारत पेट्रोलियम कॉ. का पम्प आया हुआ है। जो वर्तमान में चालू है तथा इसका वाणिज्यिक उपयोग है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि के चिपते ही खसरा नंबर 479 की भूमि आयी हुई है जिसे भी अवाप्त किया गया है तथा उक्त भूमि का वाणिज्यिक रूपान्तरण हो रखा है। इस पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है तथा व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 6,501.46/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से दिया गया, जबकि प्रार्थीगण की भूमि को 159.37/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से दिया गया है इसलिए प्रार्थीगण भी अपनी अवाप्त भूमि का 6,501.46/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण करते समय वाणिज्यिक रूपान्तरण में लगने वाला निर्धारित शुल्क कम करने के बाद व्यवसायिक दर से मुआवजा निर्धारण करना चाहिए था लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त खसरा की भूमि का मूल्यांकन 159.37/- प्रतिवर्गमीटर के भाव से ही किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने अवार्ड में उक्त मुआवजा निर्धारण करने का कोई सारवान आधार नहीं बताया है तथा न ही किसी प्रकार के दस्तावेज को आधार बना कर उक्त अवार्ड का निर्धारण किया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रार्थीगण की भूमि को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा का निर्धारण करना चाहिए था। प्रार्थीगण की भूमि के पास चिपते ही व्यवसायिक दुकानें आयी हुई हैं तथा पेट्रोल पम्प व आवासीय आबादी भूमि भी आयी हुई है तथा ग्राम सोयला के मुख्य बाजार में भूमि स्थित है तथा स्कूल, अस्पताल, सरकारी, संस्थाएँ व अन्य सभी प्रकार की सुविधा उक्त भूमि के आस पास में उपलब्ध है तथा पानी व बिजली की सुविधा उपलब्ध जिससे उक्त भूमि बहुत ही मूल्यवान है तथा इस भूमि के आस पास में भूमि अधिकारी द्वारा जो कीमत निर्धारित की गयी है उससे अधिक कीमत से बेचान हुआ है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का बाजार मूल्य अधिक है, प्रार्थीगण बाजार मूल्य से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड में मुआवजा निर्धारण करते समय भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवसापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 26 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य कारक गुणित किया जाकर शहरी क्षेत्र से दूरी का निर्धारण किया गया है वह सही नहीं किया गया है उपरोक्त अधिनियम के अनुसार शहरी सीमा नगर निगम का क्षेत्र आता है जबकि प्रार्थीगण की भूमि जोधपुर शहर की नगर निगम की सीमा से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का 1.50 से गुणाक करने की भूल की है जबकि प्रार्थीगण की भूमि का 2 से गुणाक करना चाहिये और 2 से गुणाक से ही प्रार्थीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने अवार्ड में बाजार मूल्य व आस पास की स्थिति के अनुसार मुआवजा निर्धारण नहीं करके केवल मात्र उप पंजीयक कार्यालय की डी.एल.सी. दर के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है जो सही नहीं है। डी, एल. सी. दर का दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं होने से जो अवार्ड पारित किया गया है वो किसी भी रूप से सही नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसका मूल्य बाजार दर पर किया जाना चाहिए जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय की डी.एल.सी. के दर पर किया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थीगण को इस भूमि की डी.एल.सी. दर से गणना नहीं करके वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार 6,501.46/- रुपये प्रति वर्गमीटर के भाव से गणना



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

करके नये अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जाना आवश्यक है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में स्थित गकान जो पक्का निर्माण किया हुआ है एवं मुख्य रोड पर दीवार बनी हुई है जिनका मूल्यांकन बहुत ही कम आंक कर गणना की गई है जबकि प्रार्थीगण के निर्माण (18 बाई 20 वर्ग फुट का गोदाग) जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि पर 8 बाई 60 वर्ग फीट का पट्टी पोष का निर्माण कर करके बनाये हुए है जिसकी कीमत 20 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि के सड़क पर लगी हुई 780 फुट दीवार का निर्माण किया हुआ है जिसकी कीमत 5 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि में 10 पेड़ जिसमें खेजड़ी बबूल, बोरडी है जिनकी कीमत प्रति वृक्ष 10 हजार रुपये है। इस प्रकार प्रार्थीगण के निर्माण कार्य पेटे हो रहे नुकसान के कुल 32 लाख रुपये प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अपनी भूमि के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है—

विवरण	कुल रुपये
1. ग्राम सोयला के खसरा नम्बर 476 रकबा 0.0460 हैक्टेयर यानि 460.00 वर्गमीटर में से 4/5 हिस्सा यानि 368 वर्गमीटर	368 X 6501.46 / - =23,92,537 / -
- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार	23,92,537 रु. X 2 (फैक्टर गुणाक) 47,85,074 / -
2. निर्माण व पेड़ पौधों का मुआवजा राशि	32,00,000 / -
योग	79,85,074 / -
3. सोलिसियम राशि	79,85,074 / -
कुल योग	1,69,70,149 / -
4. 12 प्रतिशत ब्याज	6,52,081 / -
कुल मुआवजा राशि	1,76,22,230 / -

प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक एवम् उचित मुआवजा हेतु मजबूत आधारों पर प्रार्थनापत्र में विस्तृत रूप से मुआवजा निर्धारण व क्लेम राशि वर्णित की गई है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को इस लिखित बहस का भाग समझा जावे। लिखित बहस के अंत में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को मुआवजा राशि 1,76,22,230 / - रुपये व अतिरिक्त ब्याज अप्रार्थी से दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराने, भूमि अवाप्ति अधिकारी के अर्वाइड में उपरोक्त संशोधन करने एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि दिलाई जाने, समस्त लाभों जैसे सोलिसियम, अधिभार की राशि एवं अर्वाइड पर ब्याज एवं अन्य लाभ जो भी विधि सम्मत हो प्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश प्रदान कराने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष 3 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.11.2019 में अवगत कराया गया कि ग्राम सोयला के खसरा नं. 416 में धारा 3(जी) के अन्तर्गत अर्वाइड प्रथम में रकबा 0.2555 है राशि 1322549.94 रुपये एवं द्वितीय अर्वाइड में रकबा 0.1382 है राशि रुपये की गणना की गई। धारा 3(ए), 3(डी) व 3(जी) के अन्तर्गत अर्वाइड जारी होने से पूर्व व पश्चात किसी प्रकार की प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। उक्त अर्वाइड में अप्रार्थीगणों द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने के पश्चात गणना कर कार्यालय द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान किया गया तथा प्रकरण में गिरधारी पुत्र आदूराम व जोगाराम पुत्र सेपवाराम जातियान जाट ने उक्त खसरे में 01 बीघा भूमि आबादी संपरिवर्तन किया गया है के आदेश की प्रति मुआवजे का भुगतान होने के पश्चात प्रस्तुत की।

अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत लिखित में बतलाया कि प्रार्थीपक्ष ने उचित मुआवजा निर्धारण करने के लिये जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

किया गया है वह पूर्णतया गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है, जो भुगतान किया गया है
 वह विधि अनुसार भुगतान किया गया है। प्रार्थी स्वयं द्वारा जो भूमि का प्रकार उल्लेखित किया
 गया है वह खसराजात भूमि है और खसराजात भूमि का मुआवजा खसराजात तरीके से उसकी
 किस्म के अनुसार दिया गया है। इन परिस्थितियों में वह उक्त भूमि के लिये वाणिज्यिक और
 रहवासीय दर से भुगतान प्राप्त करने के हक अधिकारी नहीं है। उपरोक्त आपत्तियाँ म्याद के
 बाहर है। अवार्ड की जानकारी के सम्बन्ध में प्रार्थी को नोटिस नहीं देने एवं सूचना नहीं देने
 एवं सुनवाई का अवसर नहीं देने के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे गये है परन्तु उपरोक्त अवार्ड
 प्रार्थी की जानकारी में पारित हुआ है और प्रार्थी द्वारा उक्त मामले में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी
 थी और उन्ही आपत्तियों की भी निस्तारण की जानकारी प्रार्थीगण को थी। प्रार्थीगण पढे लिखे
 है और उसी अनुसार उनको समस्त जानकारी थी। प्रार्थीगण के प्रस्तुत आधार के पद स. 1
 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उचित मुआवजा निर्धारण नहीं करने के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे
 गये है वह गलत है। बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी जो तहसीलदार, पटवारी,
 महानिरीक्षक पंजीयक और पीडब्ल्यूडी विभागो की कमेटी द्वारा दरो का निर्धारण किया जाता
 है, उसी अनुसार दी गयी है। प्रार्थी द्वारा बिना साक्ष्य और बिना दस्तावेजो के आधार पर करने
 के जो तथ्य लिखे गये है वह पूर्णतया गलत हैं कमेटी द्वारा आस पास की डीएलसी दरे एवं
 अन्य पैमाने जो प्रत्येक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में निश्चित है उसी अनुसार कार्यवाही की
 गयी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पचास लाख चालीस हजार तीन सौ रुपये की दर से
 मुआवजा निर्धारित किया गया है जो अत्यधिक है। प्रार्थी की भूमि जोधपुर शहर में मण्डोर
 पुलिया खत्म होने के बाद मुख्य रोड पर नहीं आयी हुई है बल्कि उनके मध्य में नाला आया
 हुआ है और उसके पश्चात जमीनी तल से नीचे की खड्डे की भूमि है। प्रार्थी की भूमि के
 सामने रेलवे की दीवार आयी हुई है। कोई वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स नहीं आये हुए है। ना ही
 रिसोर्ट, दुकाने आयी हुई है प्रार्थी की भूमि गोलाई पर नाले के चिपते है और प्रार्थी की भूमि
 के एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी वाणिज्यिक कार्यवाही नहीं हो रही है। इन
 परिस्थितियों में उपरोक्त आधार चलने योग्य नहीं है। आधार के पद स. 3 व 4 में मुआवजा
 निर्धारण करने का सारवान आधार नहीं लिखने और दस्तावेज के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे
 गये है वह पूर्णतया गलत है। फियूचर प्रोटेशन एवं वर्तमान उपयोग के सम्बन्ध में तथ्य लिखे
 गये है वह गलत है। आज भी कृषि भूमि के रूप में भूमि काम आ रही है। नये अधिनियमो के
 अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया गया है। आधार स. 5 में जो तथ्य लिखे गये है वह
 गलत है। मध्य बिन्दु से 132 फीट दोनो तरफ निर्माण कार्य नहीं होने के जो तथ्य लिखे गये
 है वह नियम है। जो सब पर लागू होते है। मात्र एक पर लागू नहीं होते है, उसकी भूमि
 पहले जिस काम में आ रही थी वर्तमान में भी उसी काम में आ रही है। इन परिस्थितियों में
 वह कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा भूमि पर निर्माण के सम्बन्ध में
 राशि कम देने के तथ्य लिखे गये है। वहां पर यानि की प्रार्थी की भूमि पर कोई भी निर्माण
 नहीं था। वह खेती भूमि थी और आज भी खेती की भूमि है। इन परिस्थितियों में फियूचर
 प्रोटेशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नगर नगम क्षेत्र में कृषि भूमि का वाणिज्यिक
 आधार नहीं हो सकता है या कृषि भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आ जाने मात्र से स्वतः ही
 वाणिज्यिक और रहवासीय भूमि नहीं हो जाती है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त
 करने का हक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की भूमि कभी रहवासीय एवं व्यवसायिक नहीं रही।
 माननीय न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है वह माध्यस्थ अधिनियम के
 अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है जिसका क्षेत्राधिकार सीमित है इन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा
 यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में जो
 मुआवजा निर्धारित किया है वह उचित मुआवजा है और उसी दर से सम्पूर्ण भूमि अवाप्ति वालो
 को दिया गया है और माननीय अधिकरण द्वारा भी इसी रोड के सम्बन्ध में दायर की गयी
 उपरोक्त प्रकार की याचिकायें जो 50 याचिकायें थी जो एक समान के प्रकरणो में पूर्व में
 न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जा चुका है इन परिस्थितियों में नये तरीके से निर्धारण नहीं
 किया जा सकता है। लिखित बहस के अंत में प्रार्थना पत्र गलत एवं विधि बाधित होने से
 खारिज करने की इस्तदुआ की।



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
 जोधपुर (राज.)

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुए:-

1-सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के 226/400 कि.मी. से 296/070 कि.मी. तक के भूखण्ड (नागौर-जोधपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ी करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि) के लिए भूमि अवाप्ति अर्वाड क्रमांक 3814 दिनांक 30.12.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2-भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर को प्रस्तुत आपत्तियां/दावे की प्रति।

3-प्रार्थी से संबंधित संपरिवर्तन आदेश की प्रति।

4- सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा क्रमांक 641 दिनांक 06.06.2017 को जारी नोटिस की प्रति।

अप्रार्थीपक्ष-2 व 3 के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस दिनांक 02.01.2025 व प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 13.09.2022 को सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 18.12.2024 को प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अप्रार्थीपक्ष -2 व 3 की अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस के रूप में लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए बताया गया।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 के (नागौर जोधपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि) के परिवर्तित करने के लिए भूमि अवाप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय, जोधपुर) द्वारा ग्राम सोयला के खसरा नंबर 476 रकबा 460.00 वर्ग मीटर में से 4/5 हिस्सा की भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम सोयला के खसरा नंबर 476 रकबा 460.00 वर्ग मीटर में से 4/5 हिस्सा की भूमि का अर्वाड दिनांक 30.12.2016 को पारित किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का सही प्रकार से मूल्यांकन (उचित एवं वास्तविक मुआवजा) निर्धारित नहीं किया गया है। जो मुआवजा निर्धारित किया व सम्पत्ति की बाजार कीमत के बराबर नहीं है उक्त मुआवजा बाजार दर से बहुत ही कम है और बिना साक्ष्य के व बिना दस्तावेजों के अपने स्वयं की मनमर्जी से पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम सोयला में प्रार्थीगण की भूमि को असिंचित की कीमत प्रतिबीघा 2,57,984/- रुपये एवं 159.37/- रुपये प्रति वर्ग मीटर से मुआवजा निर्धारण किया गया है जो बहुत ही कम है। उक्त कीमत का निर्धारण करने में बाजार कीमत व आस पास भूमि की कीमत व दस्तावेजों के बिना अवलोकन कर के किया गया है क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सोयला के मुख्य बाजार में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के ही खसरे में चिपते ही भारत पेट्रोलियम कॉ. का पम्प आया हुआ है जो वर्तमान में चालू है तथा इसका वाणिज्यिक उपयोग है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि के चिपते ही खसरा नंबर 479 की भूमि आयी हुई है जिसे भी अवाप्त किया गया है तथा उक्त भूमि का वाणिज्यिक रूपान्तरण हो रखा है। इस पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है तथा व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 6,501.46/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से दिया गया, जबकि प्रार्थीगण की भूमि को 159.37/-रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से दिया गया है इसलिए प्रार्थीगण भी अपनी अवाप्त भूमि का 6,501.46/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से प्राप्त करने का अधिकारी है।



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण करते समय वाणिज्यिक रूपान्तरण में लगने वाला निर्धारित शुल्क कम करने के बाद व्यवसायिक दर से मुआवजा निर्धारण करना चाहिए था लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त खसरा की भूमि का मूल्यांकन 159.37/- प्रतिवर्गमीटर के भाव से ही किया गया भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड में मुआवजा निर्धारण करते समय भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवसापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकार पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य कारक गुणित किया जाकर शहरी क्षेत्र से दूरी का निर्धारण किया गया है वह सही नहीं किया गया है उपरोक्त अधिनियम के अनुसार शहरी सीमा नगर निगम का क्षेत्र आता है जबकि प्रार्थीगण की भूमि जोधपुर शहर की नगर निगम की सीमा से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का 1.50 से गुणाक करने की भूल की है जबकि प्रार्थीगण की भूमि का 2 से गुणाक करना चाहिये और 2 से गुणाक से ही प्रार्थीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने अवार्ड में बाजार मूल्य व आस पास की स्थिति के अनुसार मुआवजा निर्धारण नहीं करके केवल मात्र उप पंजीयक कार्यालय की डी.एल.सी. दर के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थीगण को इस भूमि की डी. एल.सी. दर से गणना नहीं करके वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार 6,501.46/- रुपये प्रति वर्गमीटर के भाव से गणना करके नये अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जाना आवश्यक है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में स्थित मकान जो पक्का निर्माण किया हुआ है एवं मुख्य रोड पर दीवार बनी हुई है जिनका मूल्यांकन बहुत ही कम आंक कर गणना की गई है जबकि प्रार्थीगण के निर्माण (18 बाई 20 वर्ग फुट का गोदाम) जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि पर 8 बाई 60 वर्ग फीट का पट्टी पोष का निर्माण कर कमरे बनाये हुए है जिसकी कीमत 20 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि के सडक पर लगी हुई 780 फुट दीवार का निर्माण किया हुआ है जिसकी कीमत 5 लाख रुपये है तथा उक्त भूमि में 10 पेड जिसमें खेजडी बबूल, बोरडी है जिनकी कीमत प्रति वृक्ष 10 हजार रुपये है। इस प्रकार प्रार्थीगण के निर्माण कार्य पेटे हो रहे नुकसान के कुल 32 लाख रुपये प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अपनी भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी कुल मुआवजा राशि 1,76,22,230/- राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसका पूर्ण विवरण लिखित बहस में प्रस्तुत किया गया। बहस के अंत में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को मुआवजा राशि, अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य समस्त लाभों को अप्रार्थी से दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर अवाप्तसुदा भूमि ग्राम सोयला के खसरा नंबर 476 रकबा 460.00 वर्ग मीटर में से 4/5 हिस्सा का मुआवजा मूलतः वाणिज्यिक दर तथा फ़ैक्टर गुणाक 2 से करते हुए ब्याज एवं अन्य लाभों को दिलाये जाने की इस्तदुआ की। प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 30.12.2016 में प्रार्थीपक्ष से संबंधित भूमि की किस्म बारानी 2 है जो कृषि भूमि है तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा अपनी भूमि की किस्म के संबंध में किसी प्रकार का सत्यापित साक्ष्य व जमाबंदी/नामान्तरण जैसे अन्य राजस्व रिकार्ड की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की भूमि की किस्म अन्यत्र निर्धारित हो सके। चूंकि प्रार्थी द्वारा बताये गये तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य/वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व (Burden Of



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

(Proof) प्रार्थीपक्ष स्वयं का होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।



यह पंचाट आज दिनांक 05.02.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gaurav Agrawal'.

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)